न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना आई.ए.एस

अपील संख्याः 07/2025

GCMS No. 2025/178

1. श्री केशवदास चेला ओमदास जी महाराज महन्त सांगलिया धुणी वर्तमान महन्त बिड़दा दासजी की बगीची, वार्ड नं. 43 दुलिया बास, कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू(राज)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी चम्पालाल
2. श्रीमति खेतु पुत्री चम्पालाल
3. श्रीमति छोटू पुत्री चम्पालाल
4. रामेशवर उर्फ रमेश पुत्र चम्पालाल
5. शंकर पुत्र चम्पालाल
6. जयकिशन पुत्र डालूराम
7. श्रीमति नानूदेवी पुत्री डालूराम
8. श्रीमति दुर्गादेवी पुत्री डालूराम

(1 से 8) जाति मेघवाल निवासीगण सुजानगढ़, जिला चूरू(राज)

9. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़, जिला चुरू
10. प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र(न.प.) सुजानगढ़, जिला चूरू

—— रेस्पोन्डेंट्स

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

उपस्थितः श्री सत्यपाल सिंह शेखावत – अभिभाषक अपीलांट
श्री सत्यनारायण तिवाडी एवं विनोद पुराहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8
श्री सुनील भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

यह अपील राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए(9) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र (न.प.) सुजानगढ़, जिला चूरू के प्रकरण क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम रोही मींगणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खेत खसरा नं. पुराना 202 तादादी 6 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 210 तादादी 26 बीघा 4 बिस्वा कुल तादादी 35 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट के दादागुरू बिड़दादास वल्द किशोरा जाति चमार सांगलिया धुणा के नाम खातेदारी रही थी। उक्त वादगत भूमि के पुराना खसरा नंबर 202 तादादी 6 बीघा 2 बिस्वा, तत्पश्चात खसरा नंबर 410 व वर्तमान खसरा नंबर 1105/943, 1106/943 में तथा पुराना खसरा नबंर 210 तादादी 29 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 424, 442, 418(901/418) में पैमूद हुई। पुराना खसरा नंबर 210 तादादी 29 बीघा 4 बिस्वा से बने नवीन खसरा नंबर 442, 424, 418(901/418) में से खसरा नंबर 442 तादादी 4.4257 हैक्टयर

संभागीय आयुक्त बीकानेर

भूमि के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र (न.प.) सुजानगढ़, जिला चूरू ने सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 जारी किया। प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र (न.प.) सुजानगढ़, जिला चूरू के उक्त सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रोही मींगणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खेत खसरा नं. पुराना 202 तादादी 6 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 210 तादादी 26 बीघा 4 बिस्वा कुल तादादी 35 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट के दादागुरू बिड़दादास वल्द किशोरा जाति चमार सांगलिया धुणा के बिना लगान पुण्यार्थ रही है। जिसके हकूक खातेदारी धारा 15 आरटीए नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 04.12.1957 ग्राम मींगणा तहसील सूजानगढ़ जिला चूरू अंकित रही। उक्त कृषि भूमि प्रभाव शून्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट के मुरिश डालूराम, चम्पालाल पिसरान खींवाराम के नाम अंकन व उनकी मृत्यु पश्चात रेस्पोडेन्ट 1 ता 8 के नाम के अंकन की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.04.2025 के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स से 26.04.2025 को उक्त प्रभाव शून्य अंकन हटाने का कहने पर इनकारी पश्चात अपीलांट द्वारा घोषणात्मक, दुरूस्ती व चिर—निषेधाज्ञा दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ रेस्पोडेन्ट 1 ता 8 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो आदिनांक तक जैरकार है। उक्त वादगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून कायदा एवं रूहेदाद मिसल होने से काबिल इखराजी के है। उक्त प्रकरण में अपीलाधीप आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के खुली अवहेलना कर पारित किया होने से भी काबिल इखराजी के है।

अपीलाधीन आदेश प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स व भू—भाफियाओं को लाभांवित करने के लिए यांत्रिक गति से अपीलाधीन आदेश पारित किया होने से भी काबिल इखराजी के है। उक्त प्रकरण में घोषणात्मक दावा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ में जैरकार रहते सरकारी विभाग व कर्मचारियों से गठजोड़ कर गैरकानूनी, नाजायज तरीके से राजस्व अभिलेख के प्रभाव शुन्य अंकन के आधार पर प्राप्त व पारित किये होने से काबिल इखराजी के हैं। कानूनन बिना लगान पूण्यार्थ भूमि कानूनन किसी भी तरह से हस्तांतरण अंतरण योग्य नहीं है एवं न ही हो सकती है। बिना लगान पुण्यार्थ भूमि के कानेनन हकूक खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(vi) से भी प्रतिबंधित है एवं धारा 5(25) व धारा 46(1)(E) काश्तकारी अधिनियम से भी उक्त भूमि लोकोपयोगी होने से भी किसी प्रकार से हस्तांतरण/अंतरण योग्य नही है और इस प्रकार की Deity भूमि Perpetual Minor के रूप में संरक्षण योग्य है। इस संदर्भ में 1984 आर.आर.डी पेज 1 एल.बी. अवलोकन योग्य है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर को भी विवेचित किया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को दरकिनार कर बिना आपत्ति का निस्तारण किये पारित किया होने से भी काबिल इखराजी के है। अपीलाधी आदेश डॉक्ट्राईन ऑफ लिसपेंडेंस के सिद्धांत से हिट होने से भी प्रारम्भतः शून्य है, इसलिए भी आदेश जैर अपील काबिल इखराजी के हैं। अपीलाधीन आदेश जो कानून के सिद्धांत Pendente lite

संभागीय आयुक्त बीकानेर

Nihil innovetur से भी निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरअपील प्रकरण क्रमांक 2025/2309 सम्परिवर्तन आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र(न. प) सुजानगढ़ चुरू दिनांक 12.06.2025 निरस्त फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 8 ने बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नंबर 442 तादादी 4.4257 हैक्टयर भूमि ग्राम मींगणा तहसील सुजानगढ़ में स्थित हैं उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 202 व 210 कुल तादादी 35 बीघा 6 बिस्वा रहे थे। उक्त भूमि पूर्व खातेदार बिडददास की कृषि भूमि रही थी, उक्त खातेदार बिडददास द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि दिनांक 08.12.1958 को रूबरू गवाहान उप पजीयक के समक्ष रेसपोडेन्ट्स के पिता/दादा चम्पालाल व डालूराम को विक्रय कर दी, जिसका पंजीयन होने के बाद चम्पालाल व डालूराम के नाम इंतकाल स्वीकृत हो गया। उक्त इंतकाल स्वीकृत होने के पश्चात भूमि रेस्पोडेन्ट्स के पुर्वज चम्पालाल व डालूराम कब्जे काश्त में रही तथा उसके स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट्स का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त रहा। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि भू—रूपान्तरण हेतु नगर पालिका में आवेदन किया, जो दिनांक 12.06.2025 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी कर दिया। अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 3(A) में किए गए कथन के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 का कथन किया है कि अपीलाधीन सम्परिवर्तन आदेश के नियमों के मुताबिक, जिस व्यक्ति को भू—रूपान्तरण करवाना होता है वह रिकॉर्ड में खातेदार होना आवश्यक है और किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होना चाहिए तथा भू—रूपान्तरण करने वाला अधिकारी सक्षम होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में रेस्पोडेन्ट खातेदार रहे थे एवं स्थगन आदेश भी अस्तित्व नही था एवं प्राधिकृत अधिकारी भी भू—रूपान्तरण हेतु सक्षम थे। अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 3(B) में किए गए कथन के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 का कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही का सम्पादन कर सही व विधि अनुरूप भू—रूपान्तरण की कार्यवाही की गई हैं। अपीलांट के किसी भी विधिक अधिकारों का हनन नही किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करके ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 3(C) में किए गए कथन के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 का कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ग्राम मीगणा के खसरा नंबर 901/418, 442 को कृषि भूमि से कृषि आधारित(एग्रोबेश) प्रयोजनार्थ रूपांतरण हेतु दिनांक 07.04.2025 को नगर परिषद कार्यालय में मय सम्पूर्ण दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत किया था। शाखा लिपिक द्वारा सम्पूर्ण जांच कर निर्धारित प्रारूप 10 में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना का प्रकाशन दिनांक 05.06.2025 को दैनिक भास्कर के चूरू संस्करण में प्रकाशन हुआ। दिनांक 09.06.2025 को अपीलांट केशवदास ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा आपत्ति में लिखा गया कि उक्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ ने स्टे/स्थगन आदेश दिया हुआ है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट्स नगर परिषद में उपस्थित होकर न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के आज्ञा—पत्र कमला बनाम केशवदास पत्रावली 34/2025 में प्रस्तुत आदेश बताया गया, जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा प्रदत्त स्टे आदेश पक्षकरों को सुनकर स्थगित कर दिया। कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ़ से निर्धारित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रारूप में सहमति भी प्राप्त हो गई तथा किसी भी न्यायालय का स्टे/स्थगन/रोक आदेश नहीं होने का उल्लेख किया गया तथा गैर–कृषि प्रयोजन की अभिशंषा की गई।

अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 3(D)(E)(G) में किए गए कथन के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 का कथन किया है कि ड्राक्ट्राईन ऑफ लिसपेन्डिस का सिद्धान्त सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में दिया गया है जिसके अनुसार किसी वाद के विचाराधीन रहते बिना न्यायालय की आज्ञा विवादग्रस्त सम्पति का अन्तरण नही किया जा सकता हैं तथा धारा 5 में सम्पत्ति अन्तरण की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम पारिवारिक समझौते, समर्पण व परित्याग, सुखाधिकार, वसीयत, एवं विभाजन पर लागू नही होता है। उक्त प्रकरण समर्पण से संबंधित है, भू–रूपान्तरण में भूमि का समर्पण नगर परिषद को किया गया है। किसी भी प्रकार का विक्रय धारा 54, बंधक धारा 58, भार धारा 100, लीज धारा 105, विनियम धारा 118, दान धारा 122 या अनुयोज्य दावों का अन्तरण धारा 130, नही किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 3(E) में किए गए कथन के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 का कथन किया है कि भूमि ग्राम मींगणा के पुराने खसरा नंबर 210, 205 कुल भूमि 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त 2002 बिडदादास पुत्र किशोरा चमार काश्तकार का अंकन रहा, इंतकाल सख्या 30 दिनांक 04.12.1957 के द्वारा धारा 15 आरटीए 1955 के तहत खातेदारी प्रदान की गई तब से लगान की रशीदे बिडदादास वल्द किशोरा चमार के नाम चल रही थी, बिडदादास द्वारा उक्त खातेदारी अधिकार जरिए विक्रय पत्र 8.12.1958 को रस्पोडेन्ट्स के पिता/दादा डालूराम, चम्पालाल को प्रदान हुवे। जिनका इंतकाल 58 दिनांक 08.08.1959 स्वीकृत हुआ है। वादगत भूमि कभी भी लगान माफ या पुण्यार्थ नही रही थी। सम्वत् 2010 से 2016 में बिडदादास द्वारा प्रत्येक वर्ष लगान 2011/– जमा करवाया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भूमि लगान माफ पूण्यार्थ नही थी, बिडदादास को भूमि विक्रय करने के अधिकार प्राप्त थे तथा इस कारण ही उनके द्वारा डालूराम व चम्पालाल का विधि सम्मत तरीके से भूमि विक्रय की गई। उक्त प्रकरण में अपीलांट रूपान्तरण व अन्तरण के बारे में भ्रमित रहे है। रूपांतरण एक प्रक्रिया है, जिसमें भूमि के वर्तमान उपयोग को बदला जाता है, जबकि भूमि का स्वामित्व नही बदलता है जबकि अन्तरण सम्पत्ति के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होना है। अपीलांट द्वारा अपील में लम्बित वाद में सिद्धान्त का अंकन भ्रम में रह कर किया हैं मातहत न्यायालय का भू–रूपान्तरण आदेश किसी भी सिद्धान्त को हीट नही होता है।

उक्त वादगत भूमि बिडदादास की खातेदारी भूमि थी जिनके द्वारा भूमि विक्रय 08.12.1958 को कर दी गई तब से रेस्पोडेन्ट्स ही भूमि क काबिज मालिक रहे है, जिस दिन विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ उस दिन अपीलांट का जन्म भी नही हुआ था, अपीलांट द्वारा अपने दावे में अपने आप को ओमदास का चेला बताया है तथा इस आधार पर दावे में वादगत भूमि पैतृक होना बताकर दावा किया है, पैतृक शब्द गृहस्थी व्यक्तियों के लिए व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होने वाले हिन्दू परिवार पर उत्तराधिकार के संबंध मे लागू होता है। महन्त या गददी के संबंध में पैतृक या सहदायिक उत्तराधिकार की अवधारणा बेमानी हो जाती है। बिडदादास अपने पिता किशोरा चमार की संतान रहा था तथा इस भूमि को राजस्थान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

टिनेसी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व काश्तकार होने के कारण इंतकाल संख्या 30 दिनांक 04.12.1957 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं भूमि चम्पालाल व डालूराम को विक्रय कर दी गई। कभी भी बिडदादास के चेले ओमदास या अन्य ने कोई कार्यवाही नही की, 70 साल बाद पैतृक भूमि की कहानी बनाकर दावा पेश किया तथा भू–रूपांतरण को चुनौती दी है, कानून अपीलांट उक्त आदेश से एग्रीवड नही है इस कारण उन्हे अपील का अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण उन्हे अपील का अधिकार प्राप्त नही हैं इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत एआईआर मद्रास पेज 318 प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा बिडदादास द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा के पक्ष में जिस विक्रय पत्र का निष्पादन किया था उस विक्रय पत्र को किसी भी दिवानी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है कानूनन जब तक विक्रय पत्र का अस्तित्व है उसके बाद बने तमाम राजस्व रिकॉर्ड व भू–रूपांतरण कार्यवाही की शुद्धता पर प्रभाव नही उठाया जा सकता हैं। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टिांत प्रस्तुत किया।

क्र.सं.	न्यायिक दृष्टिांत मय अनवान
01.	एस.सी.सी 1 (2012) पेज 656 अनवान सूरजलैम्प इ. बनाम हरियाणा राज्य
02.	एस.सी.सी (एस.सी) पेज 3844 अनवान श्री मुकन्द भवन इस्ट बनाम श्रीमंत चट्रपती
03.	एस.सी.सी (एस.सी) पेज 434 अनवान श्रीमति उमादेवी बनाम आनन्द कुमार
04	आर.आर.टी 2006 पेज नंबर 623

भू–रूपांतरण आदेश नगर पालिका द्वारा कर दिये जाने के बाद उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट्स के अतिरिक्त अन्य लोगों के हित निहित हो चुके है जिनके आवश्यक पक्षकार मानने हुवे अपील हाजा में कानून्न पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जिनको अपीलांट द्वारा जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10 ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की ओर से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का ऐग्रोबेस रूपांतरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ आवेदन पत्र के समस्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनगण के द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेंड कर्न्वट भूमि का नक्शा मय शपथ पत्र बंध पत्र कृषि भूमि के मालिकाना अधिकार के बाबत दस्तावेज के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के कार्यालय में प्रस्तुत किये गए। तत्पश्चात आम सूचना दैनिक अखबार में दिनांक 05.06.2025 को प्रकाशित करवाई गई ताकि किसी के अधिकारों के हितों पर प्रभाव पडता हो तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकें। उक्त सूचना प्रकाशित होने के बाद किसी की ओर से नियत समयाधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की और से कोई आपत्ति दर्ज नही किये जाने के कारण दिनांक 12.06.2025 को कन्वर्जन आदेश विधि सम्मत तरीके से जारी किया गया हैं।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के द्वारा ले आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 10.06.2025 को आहूत कर बैठक में प्रस्ताव के द्वारा उक्त भूमि के बाबत प्रस्ताव लिया जाकर सर्व सम्मति से अनुमोदन करवाया गया। उक्त वादगत भूमि पर गैर कृषि कार्य के रूपांतरण करने अथवा नही करने के बाबात किसी न्यायालय के द्वारा भूमि रूपांतरण नही करने के बाबत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्थगन अस्तित्व में नही था और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को किसी व्यक्ति या सस्था ने स्टे होने के बाबत अवगत कराते हुए जानकारी दीं। दिनांक 09.06.2025 को अपीलांट के द्वारा एक लिखित सूचना उक्त भूमि के बाबत अपने अधिकारों से अवगत कराते हुए पटटे जारी किये में तथ्य को छिपाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने एवं मामला उपखंड न्यायालय में जैरकार होने की सूचना दी गई एवं स्थगन आदेश जारी होने की सूचना दी गई एवं स्थगन आदेश जारी होने की सूचना दी गई इसी दिन रेस्पोडेन्ट के द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आज्ञा पत्र कमला आदि बनाम केसवदास के मामले में जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.04.2025 को स्थगित रखे जाने से अवगत कराया गया जिस पर श्रीमान तहसीलदार सूजानगढ़ से निर्धारित प्रारूप 6 में सहमति प्राप्त की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के द्वारा निर्धारित नियम प्रक्रिया की पालना करते हुए रूपांतरण की कार्यवाही की गई हैं जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता कार्यवाही नही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायें।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया।अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मींगणा के पुराने खसरा नंबर 210 एवं 205 में कुल 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि का इंतकाल संख्या 30 दिनांक 04.12.1957 द्वारा बिडदादास पुत्र किशोरा चमार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज थी। बिडदादास पुत्र किशोरा चमार द्वारा वादगत भूमि को जरिये विक्रय—पत्र 08.12.1958 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के पिता/दादा डालूराम एवं चम्पालाल को विक्रय का दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के पिता/दादा डालूराम एवं चम्पालाल पुत्रगण खिवां जाति मेघवाल के नाम इंतकाल संख्या 58 दिनांक 08.08.1959 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ। बिडदादास पुत्र किशोरा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के पिता/दादा डालूराम एवं चम्पालाल को किए गए विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया।

प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षैत्र (न.पा) सुजानगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त कर आम सूचना दैनिक अखबार में 05.06.2025 को प्रकाशित करवाया, उक्त सूचना प्रकाशित होने के बाद नियत समयाधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की और से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षैत्र (न.पा) सुजानगढ़ ने ले—आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक आहूत कर उक्त बैठक में उक्त वादगत भूमि के भू—रूपांतरण प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित करवाया गया है साथ ही तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रारूप 6 में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन गैर—कृषित प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा जारी किये जाने बावत सहमति भी प्राप्त की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षैत्र (न.पा) सुजानगढ़ द्वारा 90—क के आदेश क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 बिन्दुवार पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया है। हम प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षैत्र (न.पा) सुजानगढ़ के आदेश क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षैत्र (न.पा) सुजानगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2025/2309 दिनांक 12.06.2025 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। अपीलांट अपने अधिकारों के संबंध में सक्षम न्यायालय में चारा—जोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते